दिनाँक	**सरकार बनाम अशोक बांता व अन्य** **सेशन प्रकरण संख्या 06/23**	अनुपालना टिप्पणी
06–05–2024	विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण अनुपस्थित, जिनका हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश हआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। पुनः बहस चार्ज सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.क्रि.री.पी. संख्या 161/24 के तहत आदेश पारित करते हुये पूर्व में दिनांक 06–12–2023 को अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित किये गये आरोपों की हद तक आदेश अपास्त किया गया और यह निर्देश दिया कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये इस आदेश से प्रभावित हुये बिना अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के सम्बंध में सकारण, स्पष्ट एवं विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। उक्त आदेश का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा उक्त आदेश के तहत प्रदान किये गये निर्देशों के अनुसरण में उभय पक्षों को सुना गया, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा परिवादी की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एकराय होकर धारदार हथियार एवं लोहे के सरियों से सुसज्जित होकर पूर्व की रंजिश के कारण मजरूब पर रास्ते में रोक कर हमला किया और उसके साथ गंभीर मारपीट की, जिससे उसकी आंख के ऊपर एवं शरीर के अन्य भागों में चोटे कारित हुई। अभियुक्तगण मजरूब को मरा हआ समझकर भाग गये। अभियुक्तगण द्वारा उक्त कृत्य मजरूब को जान से मारने के आशय से किया गया था। इस सम्बंध में दौराने अनुसंधान पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित की गई है। धारा 161 द.प्र.सं. के बयानों के तहत मजरूब ने स्पष्ट जाहिर किया है कि उसे जान से मारने के लिए उस पर हमला किया गया था और गंभीर मारपीट की गई, चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार भी उसके शरीर पर 8 चोटे कारित हुई एवं फोटोग्राफ्स से स्पष्ट स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके साथ कितनी गंभीर रूप से मारपीट की गई। शरीर पर आई चोटे प्राण घातक प्रकृति की चिकित्सक द्वारा नहीं पाई गई किन्तु यह तथ्य धारा 307 भा.द.सं. के अपराध से अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि विचारण के दौरान मारपीट का आशय साक्ष्य से ही सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र के अनुसार आरोप विरचित किये जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा हत्या करने के आशय से कोई मारपीट नहीं की गई। मजरूब के शरीर पर केवल मात्र साधारण चोटे कारित हुई है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि चोटे प्राण घातक हो। जब इस प्रकार की कोई चोटे कारित ही नहीं की गई तो हत्या का प्रयास अभियुक्तगण	

दिनाँक	सरकार बनाम अशोक बांता व अन्य सेशन प्रकरण संख्या 06/23	अनुपालना टिप्पणी
	द्वारा किया गया हो यह अनुसंधान अधिकारी द्वारा एकत्रित की गई साक्ष्य से दृष्टिगत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पर धारा 307 भा.द.सं. के तहत आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 307 भा.द.सं. के तहत अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जावे एवं प्रकरण विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया जावे। उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण मजरूब महेन्द्र चौधरी के द्वारा दिनांक 24-04-2022 को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन ईकाई में दिये गये पर्चा बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। पर्चा बयान के तहत परिवादी द्वारा यह जाहिर किया गया कि उसके पीछे से आवाज लगाई गई थी जब उसने गाडी मोडी तो सामने देखा कि अशोक बांता के हाथ में कुल्हाडी जैसा धारदार हथियार, संतोष व जितेन्द्र के हाथ में लोहे के सरिये थे। इनके द्वारा गालियों देते हुये उसे जान से मारने की नीयत से एक राय होकर हमला करने के लिए आगे बढे, वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा तब अशोक बांता ने धारदार हथियार से उसके दाहिनी आंख व सिर पर हमला कर दिया जिससे वह नीचे गिर गया और गिरने के पश्चात जितेन्द्र, संतोष व मंजू ने उसके साथ सरिये से मारपीट की और जब वह बेहोश होकर गिर गया तो अभियुक्तगण उसे मृत समझकर भाग गये। इस प्रकार पर्चा बयान के तहत मजरूब द्वारा यह जाहिर किया है कि सर्वप्रथम उसके सिर के सामने से धारदार हथियार से मारा गया था जो उसके आंख के ऊपर की ओर लगा तत्पश्चात उसके साथ लोहे के सरिये आदि से मारपीट की गई। इसी आशय का कथन मजरूब द्वारा धारा 161 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये बयानों में जाहिर किया है तथा चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार मजरूब के शरीर पर 8 चोटे कारित हुई जो कि प्रथम दृष्टया पर्चा बयान के तहत उल्लेखित तथ्यों के अनुरूप है। मजरूब के शरीर पर आई चोटों का एक्सरे आदि करने पर किसी प्रकार की कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया। आंख के ऊपर जो धारदार हथियार की चोट थी उसे भी साधारण प्रकृति की होना दर्शाया गया है। फोटोग्राफ्स आदि का अवलोकन करने से यह दृष्टिगत होता है कि मजरूब के साथ गंभीर प्रकृति की मारपीट की गई है। अभियुक्तगण का आशय हत्या करने का था अथवा नहीं, यह विचारण के उपरान्त ही विनिश्चित किया जा सकता है। इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा चिकित्सकीय परीक्षण, फोटोग्राफ्स आदि के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण द्वारा धारा 323, 341, 307 व 440/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध कारित करने के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं के तहत पृथक से आरोप विरचित कर सुनाये जावे।	

दिनाँक	**सरकार बनाम अशोक बांता व अन्य** **सेशन प्रकरण संख्या 06/23**	अनुपालना टिप्पणी
	पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने आरोप हेतु दिनांक 03–06–24 को पेश हो। अभियुक्तगण को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रखे। (अमर वर्मा) अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–3 अजमेर	